विजय बघेल
संसद सदस्य (लोकसभा, दुर्ग)
छत्तीसगढ़

दूरभाष : 8770360478
9425561150
9981521150

सत्यमेव जयते

1317
05/09/2024

प्रति,

श्रीमान विष्णुदेव साय जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय :– **प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से मंहगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण करने हेतु।**

सन्दर्भ :– **छ.ग. कर्मचारी–अधिकारी फेडरेशन का पत्र कमांक/29 दुर्ग, दिनांक 24.08.2024**

महोदय जी,

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी–अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत् रूप से भेंट कर चर्चा करते हुए फेडरेशन के निम्नानुसार चार सूत्रीय मांगो के संबध में मुझे अवगत कराया है :–

1. **भाजपा घोषणा पत्रानुसार केन्द्र शासन के समान मंहगाई भत्ता व पूर्व में विलम्ब से देय मंहगाई भत्ते का एरियर्स राशि का भुगतान।**
2. **भाजपा घोषणा पत्रानुसार शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ,**
3. **केन्द्र शासन के समान गृह भाड़ा भत्ता दिये जाने संबंधी।**
4. **भाजपा घोषणा पत्रानुसार म.प्र. शासन की भांति प्रदेश के शासकीय सेवको को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किये जाने संबंधी।**

अवगत होना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव 2023 के समय मुझे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक का दायित्व सौंपा गया था, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए मैंने प्रदेश के हर कोने में जनमानस से संपर्क किया था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा कर प्रदेश के कर्मचारी एवं उनके परिजनों के हित संवर्धन को सुनिश्चित करने उनके सुझाव अनुसार प्रमुख वादे तैयार किया था, **जो कि मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारी जगत में व्यापक प्रचलित और स्वीकार्य हुआ।**

आपको विदित है कि विधान सभा चुनाव में हमारे पक्ष में जनमानस ने विश्वास व्यक्त किया जो कि लोकसभा चुनाव तक कायम रहा, विगत कई माह से कर्मचारी जगत में मोदी की गारंटी अनुसार क्रियान्वयन नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है। इस संबंध में मुझे भी ज्ञापन देकर स्मरण कराया गया है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू है, जिसमें शासन स्तर पर विचार नहीं करना! बेहद चिंताजनक और दुःख का विषय है, कर्मचारी जगत के हित में आपसे त्वरित क्रियान्वयन की अपेक्षा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कर्मचारी हित में अविलम्ब निर्णय लेने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विजय बघेल)